

न्यायालय :- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड मध्य-प्रदेश

प्रकरण क्रमांक 110/2010 सत्रवाद
संस्थिति दिनांक 11.06.2010

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र
मौ जिला भिण्ड म0प्र0।

-----अभियोजन

बनाम

सुरेन्द्र पुत्र धर्मसिंह जाटव उम्र 26 वर्ष, निवासी
जामना रोड के पास नाई वाली गली रेखा नगर
भिण्ड म0प्र0।

-----अभियुक्त

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद श्री मनीष शर्मा
के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र0क्रं0 479/2010 इ0फौ0
से उद्भूत यह सत्र प्रकरण क्रं0 110/2010

शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर।
अभियुक्त द्वारा श्री जी0एस0 गुर्जर अधिवक्ता।

// दोषमुक्ति आदेश अंतर्गत धारा 232 दं.प्र.स.//
// आज दिनांक 15-12-2016 को पारित किया गया//

01. वर्तमान में विचारित किये जा रहे आरोपी का विचारण धारा 420 बिकल्प में धारा 420/34, 489(घ) भा0द0सं0 के आरोप के संबंध में किया जा रहा है। उस पर आरोप है कि दिनांक 15.05.2002 को दो बजे बेहट रोड मौ भिण्ड में फरियादी प्रमोद कुमार जाटव जिसे प्रबंधित किया गया है, बेईमानीपूर्वक उत्प्रेरित किया कि वह 7000/- रुपए उसे और सहआरोपी बनवारी को परिदत्त कर दे जो कि उक्त 7000/- रुपए की मूल्यवान राशि को अपने उपयोग में उसके द्वारा लाया जाएगा। उस पर यह भी आरोप है कि उसी दिनांक समय व स्थान पर

सहआरोपी बनवारी के साथ फरियादी प्रमोद कुमार जाटव को प्रबंधित करने का सामान्य आशय निर्मित किया, बेईमानीपूर्वक उत्प्रेरित किया कि वह 7000/- रूपए उसे/सहआरोपी बनवारी को परिदत्त कर दे जो कि उक्त 7000/-रूपए मूल्यवान की राशि को अपने उपयोग में उसके द्वारा लाया जा सके। उस पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर उसके द्वारा 50 एवं 100 रूपए के करेंसी नोटों की कूट रचना करने के प्रयोजन के लिए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि करेंसी नोटों का कूट रचना किया जाना आशयित था इस प्रयोजन हेतु नोटों के नीचे सफेद कागज बांधकर और उनके ऊपर कैमिकल डालकर कॉच के टुकड़े ऊपर बांध दिए जिससे कि नोट दुगुना करने हेतु कूट रचना की जा सके।

02. अभियोजन प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से रहा है कि दिनांक 13.05.2002 को फरियादी प्रमोद कुमार जो कि बेहट रोड मौ में रहता है उसके घर पर शाम के समय सुरेन्द्र सिंह निवासी जामुना रोड भिण्ड एवं बनवारी जाटव निवासी सीनोर के आए और उसके चाचा के लडके सतीश से बातचीत कर यह बोल रहे थे कि वह 50 रूपए के नोट को 100 रूपए एवं 100 रूपए के नोट को 200 रूपए दुगुना कर देते हैं तुम भी पैसे दुगुना करवा लो। सतीश उसके पास आया और उससे कहा कि तुम्हारे पास रूपए हो तो दुगुना करवा लो। उसने कहा कि उसके पास अभी रूपए नहीं हैं एक दो दिन बाद इन्तजाम कर लेगा तब दुगुना करवा लेगा। आरोपी सुरेन्द्र बोला कि 15 तारीख तक दुगुना हो सकते हैं और दिनांक 15.05.2002 को बनवारी तथा सुरेन्द्र रात के नौ बजे उनके यहाँ पहुँचे और नोट दुगुना करने की बात उससे की। उसने सात हजार रूपए जिनमें 51 नोट 100-100/- रूपए के तथा 38 नोट 50-50/- रूपए के सुरेन्द्र को दिए। सुरेन्द्र ने प्रत्येक नोट के ऊपर एक-एक सफेद कागज बारी-बारी से लगाकर गड्डी बनाई और एक शीशी अपने झोला से निकालकर कैमिकल जैसा नोटों पर डाल दिया जिससे नोटों का रंग बदल गया। नोटों के ऊपर नीचे एक एक कॉच का टुकड़ा कपड़े में बांधकर उसे दे दिया और बोले कि दो चार दिन में आएंगे तो नोट दुगुना कर देंगे। दिनांक 19.05.2002 को 6 बजे सुबह बनवारी उसके पास पहुँचा और बोला कि सुरेन्द्र ने मौ बुलाया है रूपए का झोला लेकर चलो तो वह एमेटी से मौ के लिए आ गया। जब मौ के पास पहुँचा तो वहाँ पैशाब करने लगा इतने में बनवारी रूपए का थैला लेकर भाग गया। आरोपी के द्वारा फरियादीके साथ धोका-धड़ी की गई और उसके नोटों को दुगुना करने हेतु नोटों के साथ छेड़छाड़ की गई। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी के द्वारा थाना मौ में की गई जिस पर से धारा 420 भा0दं0वि0 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की विवेचना की गई, दौरान विवेचना आरोपी को गिरफ्तार किया गया। नोटों जिनमें 100-100/- रूपए के 51 नोट एवं 50-50/- रूपए के 38 नोट जिनके नम्बर

अंकित किए गए की जप्ती की गई जो कि उक्त नोट कैमिकल डालने एवं कैमिकल लगे होने से काले धब्बे लग गए। प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना उपरांत विचारण हेतु अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया जो कि कमिट होने के उपरांत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

03. वर्तमान में विचारित किए जा रहे आरोपी के विरुद्ध धारा 420 बिकल्प में धारा 420/34, 489(घ) भा0द0सं0 का आरोप पाया जाने से आरोप लगाकर पढकर सुनाया समझाया गया। आरोपी ने जुर्म अस्वीकार किया उनकी प्ली लेखबद्ध की गई।

04. वर्तमान में विचारित किये जा रहे आरोपी के विरुद्ध अभिलेख में कोई साक्ष्य न आने से अभियुक्त परीक्षण आवश्यक करना आवश्यक न होने से अभियुक्त परीक्षण नहीं किया गया।

05. आरोपी के विरुद्ध विचारित किए जा रहे अपराध के संबंध में विचारणीय यह है कि:-

1. क्या आरोपी के द्वारा दिनांक 15.05.2002 को दो बजे बेहट रोड मौ भिण्ड में फरियादी प्रमोद कुमार जाटव जिसे प्रबंधित किया गया है, बेईमानीपूर्वक उत्प्रेरित किया कि वह 7000/- रुपए उसे और सहआरोपी बनवारी को परिदत्त कर दे जो कि उक्त 7000/- रुपए की मूल्यवान राशि को अपने उपयोग में उसके द्वारा लाया जाएगा?
2. क्या आरोपी के द्वारा उसी दिनांक समय व स्थान पर सहआरोपी बनवारी के साथ फरियादी प्रमोद कुमार जाटव को प्रबंधित करने का सामान्य आशय निर्मित किया, बेईमानीपूर्वक उत्प्रेरित किया कि वह 7000/- रुपए उसे/सहआरोपी बनवारी को परिदत्त कर दे जो कि उक्त 7000/-रुपए मूल्यवान की राशि को अपने उपयोग में उसके द्वारा लाया जा सके?
3. क्या आरोपी के द्वारा उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर उसके द्वारा 50 एवं 100 रुपए के करेंसी नोटों की कूट रचना करने के प्रयोजन के लिए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि करेंसी नोटों का कूट रचना किया जाना आशयित था इस प्रयोजन हेतु नोटों के नीचे सफेद कागज बांधकर और उनके ऊपर कैमिकल डालकर काँच के टुकड़े ऊपर बांध दिए जिससे कि नोट दुगुना करने हेतु कूट रचना की जा सके?

—: सकारण निष्कर्ष:—

बिन्दु क्रमांक 01 लगायत 03 :-

06. साक्ष्य की पुनरावृत्ति एवं सुगमता को देखते हुए सभी विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
07. घटना के फरियादी/रिपोर्टकर्ता प्रमोद कुमार की विचारण के दौरान मृत्यु हो जाने से उसका कथन नहीं हुआ है। अभियोजन के द्वारा साक्षी सतीश कुमार अ0सा0 1, तुलसीराम अ0सा0 2 का कथन कराया गया है।
08. अभियोजन साक्षी सतीश कुमार अ0सा0 1 जिसको कि सबसे पहले आरोपीगण मिलना बताया गया है। उक्त साक्षी के द्वारा अभियोजन प्रकरण का कोई भी समर्थन नहीं किया गया है। उसे अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। इस प्रकार उक्त साक्षी के कथन के आधार पर घटना की पुष्टिकारक कोई साक्ष्य नहीं आई है। अन्य अभियोजन साक्षी तुलसीराम अ0सा0 2 के द्वारा भी अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया गया है।
09. यद्यपि आरोपी सुरेन्द्र का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में आया है, किन्तु मात्र इस आधार पर कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपी के नाम का उल्लेख आया है उसके विरुद्ध अपराध को प्रमाणित मानने का कोई आधार नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट कोई सारवान साक्ष्य नहीं होती है। यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान आरोपी से किसी प्रकार की कोई जप्ती की कार्यवाही भी नहीं हुई है। सहआरोपी बनवारी जिसका कि पूर्व में विचारण किया गया है जो कि पूर्व में दोषमुक्त किया जा चुका है, उससे ही जप्ती की कार्यवाही होनी बताई गई है। ऐसी दशा में वर्तमान आरोपी से किसी प्रकार की कोई जप्ती होनी भी नहीं पाई जाती है जिससे कि अपराध में उसकी संलग्नता के संबंध में अथवा उसे दोषसिद्ध ठहराए जाने हेतु कोई साक्ष्य हो सके।
10. विचोरापरांत प्रकरण में आई हुई समग्र अभियोजन साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में आरोपी को दोषसिद्ध ठहराने हेतु कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। आरोपी को धारा 420 विकल्प में धारा 420/34, 489(घ) भा0द0सं0 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
11. प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति 100/- रुपए के 51 नोट एवं 50/- रुपए के 37 नोट अपील अवधि पश्चात् राजकोष में जमा कराए जाने का आदेश दिया जाता है। प्रकरण

जप्तशुदा एक काले रंग का थैला एवं एक नीले रंग का कपडा, दो काँच के टुकड़े एवं कागज के टुकड़े करीब 150 नग मूल्यहीन होने से अपील अविध पश्चात् नष्ट किए जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित

हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी0सी0थपलियाल)

अपर सत्र न्यायाधीश

गोहद, जिला भिण्ड

(डी0सी0थपलियाल)

अपर सत्र न्यायाधीश

गोहद, जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)